

People's
Health
Assembly



जन
स्वास्थ्य
सभा



International
People's
Health
Council

स्वास्थ्य
संबंधी
जनादेशी



स्वास्थ्य संबंधी जनादेश

परिचय :

सन् १९७८ में आयोजित आल्मा-अटा सम्मेलन में विश्व-स्वास्थ्य संगठन तथा यूनिसेफ सहित १३४ देशों से आए मंत्रियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में “सन् २००० के अंत तक सबके लिए स्वास्थ्य” की घोषणा की गई थी तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा को सर्वोत्तम उपकरण माना था।

दुर्भाव्यवश, वह स्वप्न कभी साकार नहीं हो सका। तीसरी दुनिया की जनसंख्या के स्वास्थ्य-स्तर में कोई सुधार नहीं हो सका। बहुत से मामलों में तो इसमें और गिरावट ही आई है। वर्तमान समय में, न केवल प्रत्येक देश के भीतर बल्कि विभिन्न देशों के बीच भी असमानता बढ़ती जा रही है जिसके कारण आज पूरे भूमण्डल पर गहरा स्वास्थ्य संकट छा गया है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य के लिए नए-नए खतरे भी पैदा होते जा रहे हैं। भूमण्डलीकरण की नकारात्मक शक्तियाँ जन स्वास्थ्य, विशेषकर निर्धन लोगों के स्वास्थ्य से सम्बन्धित संसाधनों के समान वितरण को प्रभावित कर रही हैं।

आल्मा-अटा में स्वास्थ्य क्षेत्र के जिस प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा के सिद्धान्त को मूल रूप से स्वीकार किया गया था, उसे लावू करने में हुई असफलता के कारण दुनिया में स्वास्थ्य संकट और गहरा गया है। इस असफलता के लिए सभी सरकारें तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ पूर्णतया उत्तरदायी हैं।

विकास एजेन्डा के अन्तर्गत “सबके लिए स्वास्थ्य” के लक्ष्य को अपनी सही जगह दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारबाह कदम उठाना अब अनिवार्य हो गया है। इसके लिए नीति-निर्धारकों, सरकारों तथा निजी क्षेत्र पर दबाव बनाए रखने के लिए सच्चे जन-केन्द्रित प्रतिनिधित्वों को और मजबूत करना आवश्यक हो गया है जिससे आल्मा-अटा का स्वप्न वास्तविकता में बदल सके।

कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सामाजिक आन्दोलनों, गैर-सरकारी संगठनों तथा महिला समितियों ने इस लक्ष्य के लिए मिलकर कार्य करने का निर्णय किया। इस समूह ने प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा के सिद्धान्त को मानने वाले अन्य समूहों के साथ मिलकर एक “जन स्वास्थ्य सभा” का आयोजन किया जो कि सबर, बांग्लादेश में “गोनोशास्थ्य केन्द्र” या (जन स्वास्थ्य केन्द्र) के परिसर में ४ से ८ दिसम्बर २००० तक चली।

९२ देशों से आए १४७३ प्रतिभागियों ने इस जन स्वास्थ्य सभा में भाग लिया। यह सभा अट्ठारह महीनों तक लगातार विश्व भर में सक्रिय रूप से किए गए प्रयासों का परिणाम

थी। इसकी तैयारी की प्रक्रिया में विश्व भर के विभिन्न वर्गों के अनगिनत लोगों ने हजारों व्याम-सभाओं, जिला स्तरीय कार्यशालाओं और राष्ट्रीय सभाओं में अभूतपूर्व उत्साह से भाग लिया।

सभा के विभिन्न सत्रों में पाँच मुख्य मुद्दे उठाए गए:

- स्वास्थ्य, जीवन एवं जन-कल्याण;
- असमानता, निर्धनता एवं स्वास्थ्य;
- स्वास्थ्य-रक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ;
- पर्यावरण एवं जीवन और
- इनके आगामी चरण।

विश्वभर से आए लोगों ने स्वास्थ्य-सेवाओं की असफलता तथा अनुपलब्धता के प्रमाण प्रस्तुत किए और साथ ही सफल जन-प्रतिनिधित्व तथा संगठनों के विषय में भी बताया। इस जन-सभा के सौ से भी अधिक समकालीन सत्रों में प्रतिभागियों ने प्रमुख मुद्दों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की तथा विचारों एवं विशिष्ट अनुभवों का आदान प्रदान किया। पाँच दिनों के इस घटनाक्रम में प्रतिभागियों को अपनी शैली में अपने विचार व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर मिला। उन्होंने खुलकर अपनी-अपनी सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की असफलताओं की चर्चा की तथा स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर नीति-निर्धारकों के एजेन्डा में स्वास्थ्य और समान-विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दिलाने के लिए एक साथ मिलकर संघर्ष करने का निर्णय लिया।

इस प्रकार अपनी समस्याओं और कठिनाइयों के पुनरावलोकन तथा अनुभवों की चर्चा के बाद इन प्रतिभागियों ने स्वास्थ्य-संबंधी जनादेश का निर्माण किया और उसे अन्तिम रूप देकर उसे पारित किया। आल्मा-अटा के स्वप्न को साकार करने के उद्देश्य से प्रेरित यह जनादेश (चार्टर) अब से विश्वव्यापी नागरिक-आन्दोलन के समान तंत्र के रूप में कार्य करेगा। हम हर उस व्यक्ति को अपने इस आन्दोलन में उत्साहित और आमंत्रित करते हैं जो इस जनादेश को अपने हस्ताक्षर से मान्यता देकर हमारी उद्देश्य प्राप्ति में हमारे साथ सम्मिलित है।

स्वास्थ्य संबंधी जनादेश

प्रस्तावना :

स्वास्थ्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दा तो है ही लेकिन इन सबसे ऊपर यह एक मौलिक मानव-अधिकार है। असमानता, निर्धनता, शोषण, हिंसा तथा अन्याय की फैली हुई जड़ों के कारण रोग एवं मृत्यु जैसे अभिशाप समाज को अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं और इसके शिकार हो रहे हैं गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले लोग। सबके लिए स्वास्थ्य से अभिप्राय है- आर्थिक और राजनैतिक प्राथमिकताओं में परिवर्तन, भूमण्डलीकरण का विरोध एवं सत्तासम्पन्न वर्ग के हितों को चुनौती।

यह जनादेश (चार्टर) विशेष रूप से लोगों के उस वर्ग की समस्याओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जिसकी आवाज शायद ही कभी सुनी गई हो। यह जनादेश जनता को उत्साहित करता है कि वे स्वयं अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए आगे आएँ और साथ ही स्थानीय संस्थाओं, राष्ट्रीय सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय निगमों एवं संगठनों में भी भागीदार बनें।

दृष्टि :

एक बेहतर विश्व की संकल्पना के मूल आधार तब हैं : समानता, सतत विकास एवं शान्ति - एक ऐसा विश्व जिसमें सही मायनों में सभी स्वस्थ हों; ऐसा विश्व जिसमें लोगों के स्वस्थ जीवन को ही प्रमुखता दी जाती हो; और ऐसा विश्व जहाँ लोगों की प्रतिभाओं को मुखरित कर और समृद्ध बनाया जाता हो; जहाँ जनता की आवाज जीवन के स्वरूप को निखारने के लिए मार्गदर्शक का काम करती हो।

आज इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है।

स्वास्थ्य संकट :

रोग और मृत्यु के कोप का भाजन हम रोज होते हैं। यह हम सभी जानते हैं। किन्तु व्यक्ति बीमारी या मृत्यु से इसलिए भयभीत नहीं होता क्योंकि आए दिन लोग बीमार पड़ते रहते हैं या मरते हैं बल्कि हमारा क्रोध तो इसलिए है कि असंख्य रोगों और मौतों की जड़ उन सामाजिक और आर्थिक नीतियों में छिपी होती है जो बरबस हम पर लाद दी जाती हैं।

(सैन्ट्रल अमरीका की जनवाणी)

अभी हाल के दशकों में आए विश्व-व्यापी आर्थिक बदलावों से जन-स्वास्थ्य, स्वास्थ्य-रक्षा की लोगों की क्षमता तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।

दरअसल, विश्वभर में सम्पत्ति के अनियन्त्रित स्तरों के कारण निर्धनता और भूख में निरंतर वृद्धि हो रही है। अमीर और गरीब राष्ट्रों के बीच की खाई और ढौड़ी होती जा रही है, साथ ही विभिन्न देशों, सामाजिक वर्गों, स्त्री-पुरुषों तथा पीढ़ी दर पीढ़ी "युवाओं और बृद्धों" के बीच निरंतर असमानताएँ बढ़ती जा रही हैं।

विश्व की सम्पूर्ण जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग आज भी भोजन, शिक्षा, शुद्ध पेय-जल, सफाई-व्यवस्था, आवास, भूमि एवं इसके संसाधन, रोजगार तथा स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं के अभाव को झेल

रहा है। तथाकथित अन्तर आज भी जारी है। इससे दो काम हो रहे हैं— रोगों को निमन्त्रण तथा स्वास्थ्य-रक्षा में कमी।

आज पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से ह्वास हो रहा है; परिणामस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य संकट में पड़ गया है। और यह संकट शस्त्रों से होने वाले महाविनाश से भी भयंकर है।

विश्व के समस्त संसाधन बड़ी तेजी से कुछ थोड़े से हाथों में सिमट कर रह गए हैं जो इनका अधिकाधिक प्रयोग अपने हितों के लिए कर रहे हैं। वर्तमान शक्ति-सम्पन्न सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, जैसे विश्व-बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष तथा विश्व व्यापार संघ द्वारा निर्भित नवउदारवादी सामाजिक-आर्थिक नीतियों ने जन-जीवन, आजीविकाओं, स्वास्थ्य और जीवन-स्तर पर उल्टा प्रभाव डाला है और इसे बढ़ाया है राष्ट्रव्यापी निगमों की अनियंत्रित गतिविधियों ने। सार्वजनिक सेवाएँ लोगों की आवश्यकताओं का एक हिस्सा भी पूरा नहीं कर पा रहीं, कारण, सरकारों के सामाजिक बजट में हद दर्ज़ की कटौती, जिस कारण वे अपनी योजनाओं को क्रियान्वित ही नहीं कर पातीं। इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाएँ भी अस्त-व्यस्त, अनुचित और अव्यवस्थित होकर रह गई हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण के कारण स्वास्थ्य रक्षा काफ़ी हद तक प्रभावित हुई है और इस सब के कारण समानता के अनिवार्य सिद्धान्त का भी हनन हो रहा है। रोगों के उपचार में ढीलापन, तपेदिक और मलेरिया जैसे रोगों का पुनः फैलता प्रकोप तथा नई-नई बीमारियों जैसे एच आई वी/एडस का तेजी से बढ़ना — ये सब विश्व के समानता और न्याय के सिद्धान्तों की कमियों के ज्वलंत प्रमाण हैं।

स्वास्थ्य संबंधी जनादेश के सिद्धान्त:

1. उत्तम स्वास्थ्य एवं बेहतर जीवन एक मूलभूत मानवाधिकार है और इसमें रंग-रूप, पारिवारिक स्तर, धर्म, लिंग, आयु, योग्यताएँ या कर्ग, कोई शर्त नहीं होनी चाहिए।
2. सन् 1978 में हुई आल्मा-अटा घोषणा, के अनुसार विश्वव्यापी, विस्तृत प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा (पी एच सी) के नियम स्वास्थ्य संबंधी नीतियों पर आधारित होने चाहिए। आज आवश्यकता है समान से भी कहीं ज्यादा, सहभागी एवं निष्पक्ष स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य-रक्षा-नीति की।
3. सभी सरकारों का यह कर्तव्य है कि विश्व के सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाएँ, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ उनकी जरूरतों के मुताबिक दी जाएं, उनकी पैसा खर्च करने की क्षमता के मुताबिक नहीं।
4. स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं और कार्यक्रमों के निर्माण, मूल्यांकन और क्रियान्वयन में जनता और जनसंगठनों की सहभागिता अवश्य होनी चाहिए।
5. स्वास्थ्य मुख्यतः राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक वातावरण पर निर्भर करता है अतः सभी स्थानीय राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के नीति-निर्धारण में स्वास्थ्य को समानता एवं विकास के समान ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

कार्यालय हेतु आव्यान

दुनिया भर में फैले इस स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए व्यक्तिगत, सामुदायिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय, सभी स्तरों पर सशक्त कदम उठाने की आवश्यकता है। नीचे प्रस्तुत की गई माँगों काम शुरू करने के लिए एक आधार प्रस्तुत करती हैं।

मानव अधिकार के रूप में स्वास्थ्य:

स्वास्थ्य, समाज के समानता और न्याय के लिए किए गए वायदों का प्रतिबिम्ब है। स्वास्थ्य और मानव अधिकारों को राजनीतिक और आर्थिक मामलों के मुकाबले प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

यह जनादेश विश्व के प्रत्येक व्यक्ति का आह्वान करता है कि वह :

1. स्वास्थ्य के अधिकार का एकमत से समर्थन करे।
2. यह माँग करे कि सभी सरकारें स्वास्थ्य के अधिकार का आदर करने वाली सभी नीतियों एवं प्रक्रियाओं का पुनरावलोकन व क्रियान्वयन करें, उन्हें जोर देकर लागू करें।
3. ऐसे लोकप्रिय अभियान प्रारम्भ करें जो राष्ट्रीय संविधानों एवं कानूनों में स्वास्थ्य एवं मानव-अधिकारों में संशोधन करने के लिए सरकारों पर दबाव डाल सकें।
4. तुच्छ लाभों के लिए लोगों के स्वास्थ्य के शोषण के विरुद्ध संघर्ष करे।

स्वास्थ्य को मिलने वाली चुनौतियों का मुकाबला :

आर्थिक चुनौतियाँ :

अर्थव्यवस्था का लोगों के स्वास्थ्य पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। ऐसी आर्थिक नीतियाँ जो समानता, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुधारों को प्राथमिकता देती हैं, उनसे अर्थव्यवस्था के साथ-साथ जनता के स्वास्थ्य में भी सुधार लाया जा सकता है।

विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सरकारों द्वारा थोपी गई राजनीतिक, वित्तीय, कृषि संबंधी तथा औद्योगिक नीतियाँ पूँजीपतियों के हितों का सेवन करती हैं एवं लोगों के जीवन एवं आजीविका का हनन करती हैं। आर्थिक भूमण्डलीकरण एवं उदारीकरण की प्रक्रिया से लोगों तथा राष्ट्रों के बीच आपसी असमानताएँ बढ़ी हैं।

विश्व के अधिकांश देश और विशेषकर सर्वाधिक शक्ति-सम्पन्न देश महज अपनी सत्ता के सुदृढ़ीकरण के लिए ही काम कर रहे हैं जिनका जन-जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

यह जनादेश विश्व जन-समुदाय को आमंत्रित करता है कि वह :

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा भूमण्डलीय व्यापार व्यवस्था (ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम) में इस प्रकार के आमूल परिवर्तन की माँग करे कि जनता के सामाजिक, पर्यावरण संबंधी, आर्थिक तथा स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों का हनन होने से रोका जा सके तथा दक्षिण के देशों के पक्ष में सकारात्मक रूप से इसे आरंभ किया जाये। विशेषत : इस परिवर्तन में बौद्धिक संपत्ति की व्यवस्था जैसे पेटेन्ट तथा "बौद्धिक सम्पत्ति का अधिकार" समझौते के व्यापार संबंधी पहलू "ट्रिप्स" अनिवार्य रूप से सम्मिलित होने चाहिए।
2. तृतीय विश्व के कर्जों को रद्द करने की माँग करे।
3. विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आमूल-परिवर्तन की माँग करे ताकि ये संस्थाएँ विकासशील देशों के हितों और अधिकारों को प्रमुखता दें तथा शीघ्रातिशीघ्र उन पर ध्यान दें।
4. यह बात प्रभावी तौर पर लागू करने की माँग करे कि राष्ट्रव्यापी निगमों (टी एन सी) का जनता के स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े, न ही उनकी कार्यक्षमता का शोषण हो और न ही वातावरण की शुद्धता या राष्ट्र की संप्रभुता पर कोई दुष्प्रभाव पड़े।
5. इस बात का भरोसा हो कि सरकारों की कृषि संबंधी नीतियाँ बाजार की माँग को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि लोगों की ज़रूरतों के अनुरूप निर्धारित की जाएं ताकि भोजन की सुरक्षा तथा सबके लिए समान रूप से भोजन के प्रति न्याय हो सके।

6. राष्ट्रीय सरकारों से माँग करे कि वे बौद्धिक-सम्पत्ति-कानून के तहत जन-स्वास्थ्य के अधिकारों की रक्षा करें।
7. अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी के घटते-बढ़ते प्रवाह को नियंत्रित करने एवं उस पर कर-लगाने की माँग करे।
8. दबाव डाला जाय कि आर्थिक नीतियों का निर्धारण स्वास्थ्य, समानता, लिंग-भेद तथा पर्यावरण की सुरक्षा के आधार पर हो तथा इनमें नीतियों को लागू करने के प्रभावी तरीकों को भी सम्मिलित किया जाये।
9. विकास-केन्द्रित आर्थिक सिद्धान्तों को चुनौती दे कर उनके स्थान पर मानवतावादी सतत समाज की स्थापना करने वाले विकल्प रखें जाएं। पर्यावरण की समस्याओं के साथ-साथ आर्थिक सिद्धान्तों में यह क्षमता होनी चाहिए कि उनके द्वारा समानता व स्वास्थ्य के मूलभूत महत्व को समझा जा सके और साथ ही बंधुआ मज़दूरों व महिलाओं के अनदेखे योगदान को भी मान्यता मिल सके।

सामाजिक एवं राजनीतिक चुनौतियाँ

विस्तृत सामाजिक नीतियों का लोगों के स्वास्थ्य, जीवन एवं आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आर्थिक भूमण्डलीकरण एवं निजीकरण ने व्यापक तौर पर समुदायों, परिवारों एवं संस्कृतियों पर दुष्प्रभाव डाला है। किसी भी समाज के सामाजिक ताने बाने को बुनने में स्त्रियों की भूमिका परम आवश्यक है फिर भी उनकी बुनियादी ज़रूरतों को अक्सर या तो अनदेखा कर दिया जाता है या नकार दिया जाता है। साथ ही उनके अधिकारों एवं अस्मिता के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है।

सार्वजनिक संस्थाएँ आज कमज़ोर पड़ चुकी हैं। उनके अनेक दायित्व निजी क्षेत्रों को सौंप दिए गए हैं विशेषकर निगमों को, या दूसरी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को, जो शायद ही जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझती हैं। और तो और राजनीतिक दलों एवं मज़दूर संगठनों को बहुत कमज़ोर बना दिया गया है तथा अनुदारवादी व कट्टरवादी ताकतें उभार पर हैं। राजनीतिक संगठनों एवं नागरिक छाचों में लोगों को सहभागी बनाया जाना चाहिए। इन्हें निष्पत्त, स्वस्थ एवं उत्तरदायी बनाना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है।

यह जनादेश विश्व के सम्पूर्ण जन-मानस को आमंत्रित करता है कि वह :

1. विस्तृत सामाजिक नीतियों को जनता के सहयोग से विकसित करने एवं क्रियान्वित करने की माँग करे और इसका समर्थन भी करे।
2. समस्त स्त्री-पुरुषों को बिना किसी भेद-भाव के समान रूप से कार्य करने, आजीविका कराने, अपनी बात कहने, राजनीति में भाग लेने, अपने धर्म का पालन करने, शिक्षा प्राप्त करने एवं हिंसा से दूर रहने के अधिकारों की गारंटी को सुनिश्चित करे।
3. सरकारों पर दबाव डाले कि वे ऐसे कानून बनाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले वर्गों के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य तथा मानवाधिकारों का संरक्षण करते हों, और इन कानूनों का कड़ाई से पालन किया जाए।
4. शिक्षा व स्वास्थ्य को राजनीतिक एजेन्डा में सर्वोपरि स्थान देने की माँग करे। सभी बच्चों और वयस्कों, विशेषकर महिलाओं और बालिकाओं को अच्छी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए तथा शिशु-पालन एवं बाल-शिक्षा की उत्तम व्यवस्था हो।

5. यह माँग करे कि सार्वजनिक संस्थाओं की गतिविधियाँ जैसे शिशु-पालन सेवाएँ, भोजन-वितरण प्रणाली, तथा आवासीय सुविधाएँ आदि व्यक्ति एवं समुदाय के लिए स्वास्थ्यवर्धक हों।
6. यह माँग करे कि ऐसी सभी नीतियाँ जिनके कारण लोगों को अपनी भूमि, घर अथवा नौकरी से बेदखल होना पड़े, बदली जाएँ।
7. व्यक्ति के अधिकारों एवं स्वतन्त्रता का हनन करने वाली, विशेषकर महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के जीवन को त्रस्त करने वाली अवसरवादी ताकतों का विरोध करे।
8. सैक्स-पर्टटन एवं महिलाओं और बच्चों के भूमण्डलीय यातायात अर्थात् उन्हें खरीदना और बेचना आदि का कड़ाई से विरोध करे।

पर्यावरण संबंधी चुनौतियाँ :

जल एवं धार्यु प्रदूषण, तेज़ी से जलदायु परिवर्तन, औज़ोन परत का छीजना, अणु ऊर्जा और उसका कचरा, ज़हरीले रसायन एवं कीटनाशक, जैव ऊर्जा का हास, जंगलों का कटाव एवं भूमि-कटाव आदि अनेक पर्यावरण संबंधी विनाश के जन-स्वास्थ्य पर दूरगामी प्रभाव हुए हैं। इस विनाश के मूल कारण हैं प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर शोषण, दीर्घकालीन सर्वांग दृष्टि का अभाव, व्यक्तिगत लाभ की लालसा तथा धनी-वर्ग द्वारा आवश्यकता से अधिक उपभोग। इस विनाश पर तुरन्त प्रभावी रोक लगाना अत्यंत अनिवार्य है।

यह जनादेश विश्व के जन-समुदाय का आहवान करता है कि वह :

1. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय निगमों, सार्वजनिक संस्थाओं और सेना की उन विनाशकारी एवं जोखिमपूर्ण गतिविधियों पर नज़र रखे जिनका असर पर्यावरण व लोगों की सेहत पर पड़ता है।
2. यह माँग करे कि सभी विकासवादी योजनाओं का मूल्यांकन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की कसौटी पर किया जाये, साथ ही जब कभी भी तकनीकों एवं नीतियों के कारण स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर संकट उत्पन्न हो, पर्याप्त सावधानियाँ बरती जाएँ।
3. यह माँग करे कि सरकारें अनुचित एवं विनाशकारी तकनीकों का प्रयोग किए बिना जल्द से जल्द अपने सीमा-क्षेत्रों से ग्रीन-हाउस गैसों को कम करने में जुटें और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण परिवर्तन समझौते में बताए गए तरीकों से भी अधिक सख्ती से इस समस्या से निवटें।
4. निर्धन देशों एवं निर्धनता की रेखा से नीचे आने वाले क्षेत्रों में खतरनाक उद्योगों एवं ज़हरीले और रेडियोधर्मी कचरे के स्थानान्तरण का विरोध करे तथा कचरे का उत्पादन कम से कम करने वाले साधनों को प्रोत्साहन दे।
5. उत्तर और दक्षिण-दोनों तरफ आवश्यकता से अधिक उपभोग एवं अस्थिर जीवन-शैलियों में कमी करने का प्रयत्न करे। धनाद्य औद्योगिक राष्ट्रों पर लगभग 90 प्रतिशत तक उपभोग एवं प्रदूषण कम करने पर दबाव डाला जाय।
6. व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की गारंटी के साथ-साथ कर्मचारियों के काम की परिस्थितियों पर भी ध्यान देने की माँग करे।
7. कार्यस्थलों, समुदायों एवं घरों में घटने वाली दुघटनाओं को रोकने के कारगर उपायों की माँग करे।
8. परंपरागत एवं स्वदेशी ज्ञान तथा संसाधनों की जैवीय नकल का विरोध करे। साथ ही जीवन के पेटेंट अधिकार को नकारा जाय।

9. पर्यावरण एवं सामाजिक-विकास के लोक-केन्द्रित, समुदाय-आधारित सूचकों का विकास करे और पर्यावरण-हास तथा जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर के निर्धारण के नियमित लेखे-जोखे को अपनाने और उसका विकास करने पर दबाव डाले।

युद्ध, हिंसा एवं संघर्षः

युद्ध, हिंसा एवं संघर्ष सदैव समाज और मानवता का विनाश करते हैं। समाज के सदस्यों विशेषकर औरतों और बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर इनका विनाशकारी एवं कष्टदायक प्रभाव पड़ता है। शस्त्रों के बढ़ते हुए भंडारण तथा आक्रामक एवं भष्ट अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र-व्यापार से सामाजिक, राजनीतिक, एवं आर्थिक स्थिरता तथा संसाधनों के सामाजिक क्षेत्रों में वितरण को हानि पहुँच रही है।

यह जनादेश विश्व जन-समुदाय का आहवान करता है कि वह :

1. शांति एवं निःशस्त्रीकरण हेतु अभियान एवं प्रचार कार्यक्रम चलाए जाने का समर्थन करे।
2. भूमिगत विस्फोटकों तथा अन्य-हथियारों के प्रयोग, परीक्षण, उत्पादन, शोध तथा आक्रामकता के विरुद्ध सभी प्रचार कार्यक्रमों का समर्थन करे।
3. लोगों के पूर्ण शांति स्थापना के उद्देश्य का समर्थन करे, विशेषकर उन देशों में जहाँ युद्ध की विभीषिका का कटु अनुभव किया गया है।
4. बाल-सैनिकों के प्रयोग, गाली-गलौज, बलात्कार तथा बच्चों और औरतों की हत्या एवं उनको दी जाने वाली यातनाओं का घोर-विरोध करे।
5. दूसरे की जमीन पर अस्थाई कब्जे को समाप्त करने की माँग करे जिससे इसका इस्तेमाल मानवीय गरिमा को नष्ट करने के लिए हथियार के रूप में न किया जा सके।
6. मानवीय आधार पर काम करने वाली राहत-कार्यसमितियों के सैन्यकरण का विरोध करे।
7. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में आमूल परिवर्तन की माँग करे ताकि वह प्रजातांत्रिक ढंग से कार्य कर सके।
8. संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य राष्ट्रों के समस्त आक्रामक कार्यक्रमों का अंत करने की माँग करे जो जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं।
9. पास-पड़ोस, एवं शहरों को शांतिपूर्ण एवं हिंसामुक्त “हथियार रहित” क्षेत्र घोषित करने के लिए स्वतंत्र जन-आधारित प्रयत्नों को प्रोत्साहन दे।
10. विशेषकर पुरुष वर्ग के आक्रामक एवं हिंसात्मक व्यवहार के शमन एवं शांतिपूर्ण सद्भाव की स्थापना हेतु कार्यक्रमों एवं प्रचारों का समर्थन करे।
11. ऐसे कार्यक्रमों का समर्थन करे जो प्राकृतिक आपदाओं और उनसे होने वाले जान-माल के नुकसान को कम करने के उद्देश्य से चलाए जाएं।

लोक-केन्द्रित स्वास्थ्य क्षेत्रः

इस जनादेश के अनुसार एक ऐसा विश्वस्तरीय तथा विस्तृत प्राथमिक स्वास्थ्य-रक्षा कार्यक्रम बनाया जाय जिसमें लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य-सुविधाओं के लिए खर्च करना आवश्यक न हो। स्वास्थ्य सेवाएँ पूर्णतः प्रजातांत्रिक तथा उन सभी संसाधनों से युक्त होनी चाहिए जिनसे उनका लाभ उठाया जा सके।

यह जनादेश विश्व के लोगों को आमंत्रित करता है कि वे:

- स्वास्थ्य रक्षा का निजीकरण करने वाली तथा इसे उपभोक्ता वस्तु का रूप देने वाली सभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का विरोध करें।
- सरकारों से माँग करें कि वे व्यापक स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा को बढ़ावा दें, उसे आर्थिक अनुदान दें जिससे स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का हल प्रभावी तरीके से निकाला जा सके और साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का गठन इस प्रकार करें कि सबको निःशुल्क सेवाएँ मिल सकें।
- सरकारों पर दबाव डालें कि वे अपने देश की स्वास्थ्य एवं मादक-द्रव्य नीतियों को अपने हाथ में लें और उन्हें भली-भांति लागू करें।
- सरकार से माँग करें कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण का विरोध करे तथा निजी चिकित्सा क्षेत्र की कार्यविधि को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयत्न करे, जिसमें चैरिटेबल एवं गैर-सरकारी संगठनों की चिकित्सा सेवाएँ भी शामिल हैं।
- यह माँग करें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू. एच. ओ.) में आमूल परिवर्तन किए जाएं जिससे वह स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का इस प्रकार हल निकाले कि वे निर्धन वर्ग के लिए लाभकारी हों, तथा भेदभाव रहित कार्य कर सके। विश्व स्वास्थ्य सभा में जन-संगठनों को शामिल करे तथा संस्थागत निजी स्वार्थों से मुक्ति दिलाए।
- ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहन व समर्थन दें तथा स्वयं उनमें शामिल हों जिनके द्वारा रोगियों व उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारों की रक्षा हो सके तथा उनसे सम्बन्धित निर्णयों पर जनता का नियन्त्रण हो।
- परम्परागत तथा धार्मिक चिकित्सकों व चिकित्सा व्यवस्थाओं का समर्थन करें व उन्हें प्रोत्साहन दें तथा प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा में उनके योगदान को पहचानें।
- चिकित्सा प्रणाली के प्रशिक्षण में ऐसे बदलाव लाए जाएं जिससे चिकित्सक समस्या-समाधान व चिकित्सा कार्य पर अधिक जोर दें तथा अपने समाज पर वैश्वीकरण के कारण पड़ने वाले असर को बेहतर समझ सकें। साथ ही अपने समाज की विभिन्नताओं को समझ कर उनकी जरूरतों के अनुसार काम कर सकें।
- दवाइयों समेत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य-तकनीकों के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें तथा यह माँग करें कि उनका प्रयोग लोगों की स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों के मुताबिक हो।
- सम्बन्धित संस्थाएँ जन-स्वास्थ्य, जैनेटिक शोध तथा औषधि व प्रजनन तकनीकों में होने वाले विकास सम्बन्धी शोध कार्यों को अधिक से अधिक आवश्यकता पर आधारित बनाएं। ये सभी कार्य जन स्वास्थ्य पर आधारित तथा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धान्तों का सम्मान करने वाले होने चाहिए।
- जनसंख्या नियन्त्रण एवं परिवार-नियोजन में बलपूर्वक लादी जाने वाली विधियों के विरोध तथा सुरक्षित प्रजनन एवं यौन जानकारी प्राप्त करने के अधिकारों का समर्थन करें।

एक स्थानीय विश्व के निर्माण में लोगों की भागीदारी:

सुदृढ़ जन-संगठनों एवं आन्दोलनों का मौलिक उद्देश्य अधिक से अधिक प्रजातांत्रिक, निष्पक्ष एवं उत्तरदायी निर्णय-प्रक्रिया को जन्म देना है। यह अनिवार्य है कि लोगों के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार पूर्णतः सुनिश्चित हों। सरकारों का कर्तव्य है कि सबको स्वास्थ्य एवं मानव-अधिकार के ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करना, जबकि विविध जन-समितियों, आन्दोलनों और प्रचार माध्यमों 'मीडिया' की भूमिका है नीति-निर्धारण तथा उसके क्रियान्वयन में जनता की संप्रभुता तथा नियन्त्रण को सुनिश्चित करना।

यह जनादेश विश्व के सम्पूर्ण जन मानस को आमंत्रित करता है कि वह :

1. विश्लेषण एवं क्रियान्वयन के लिए एक आधार तैयार करने हेतु जन-संगठनों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण करे।
2. सभी स्तरों पर सार्वजनिक-सेवाओं में निर्णय लेने से सम्बन्धित लोगों की भूमिका को प्रोत्साहित करने वाले कार्यों का समर्थन करे बढ़ावा दे और उनमें स्वयं शामिल हो।
3. स्वास्थ्य से संबंधित स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जन-संगठनों के प्रतिनिधित्व की माँग करे।
4. ऐसे स्थानीय प्रतिनिधियों का समर्थन करे जो विश्वभर में जन केन्द्रित एकता-नेटवर्कों की स्थापना द्वारा लोकतन्त्र में लोगों की भागीदारी के समर्थक हों।

जन-स्वास्थ्य सभा एवं जनादेश :

जन-स्वास्थ्य सभा (पी एच ए) के गठन का विचार लगभग एक दशक पहले किया गया था। सन् 1998 में अनेकों संगठनों ने पी एच ए के गठन की प्रक्रिया की शुरुआत की तथा सन् 2000 के अंत तक बांग्लादेश में एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सभा बुलाने पर विचार करना आरंभ किया गया। सभा के पहले एवं बाद की गतिविधियों की एक शृंखला बनाई गई जिसमें क्षेत्रीय कार्यशालाएँ, लोगों के स्वास्थ्य-संबंधी अनुभवों का संकलन तथा एक स्वास्थ्य संबंधी जनादेश का प्रारूप बनाना - समिलित किए।

वर्तमान जनादेश नागरिकों के विचारों तथा विश्व-व्यापी जन-संगठनों पर आधारित है और पहली बार दिसम्बर 2000 में सवर, बांग्लादेश में हुई बैठक में अनुमोदन के लिए रखा गया।

यह जनादेश हमारे साझा हितों, अच्छे स्वास्थ्य एवं बेहतर विश्व की परिकल्पना तथा उसके लिए किए जाने वाले हमारे प्रयासों को मुखरित करता है।

आइए हम सब मिलकर इस जनादेश का समर्थन करें

हम सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को आमंत्रित करते हैं कि वे इस जनादेश का समर्थन एवं पुष्टि करें तथा इस स्वास्थ्य सम्बन्धी जनादेश के क्रियान्वयन में सहायक हों।

पी.एच.ए. सचिवालय, ईमेल gksavar@citechco.net.

संशोधन

दिसम्बर 8, 2000 को पी.सी.एच. की पुष्टि के बाद प्रारूप-समिति के ध्यान में यह लाया गया कि आर्थिक चुनौतियों के अन्तर्गत कार्य-बिन्दु 1 तथा 2 को निम्न प्रकार से भी समझा जा सकता है— 'यह जनादेश विश्व के लोगों का आहवान करता है कि विश्व व्यापार संगठन द्वारा सुझाए गए सामाजिक सुधारों का समर्थन किया जाए जिससे डब्ल्यूटी.ओ. तथा उसके नवउदारवादी एजेन्डा को और मजबूती मिले। परन्तु यह पी.एच.ए. की डब्ल्यूटी.ओ. तथा विश्व व्यापार प्रणाली में आमूल परिवर्तन की मांग के प्रतिकूल है। ये दो पैरे एक साथ मिलाकर बदल दिए गए हैं।

युद्ध-हिंसा एवं संघर्ष वाले भाग को संशोधित कर उसमें प्राकृतिक आपदाओं को भी शामिल किया गया है। इस प्रारूप में कार्य बिन्दु नं. 5 भी जोड़ा गया जिसमें यह मांग की गई है कि दूसरों की भूमि पर किसी भी प्रकार के कब्जे का अन्त किया जाए। साथ ही, कार्यान्वयन मुद्दे नं. 7 (जो अब 8 है) में संशोधन किया गया है कि सभी प्रकार के प्रतिबन्धों को समाप्त किया जाए। एक और कार्यान्वयन मुद्दा—नं. 11 जोड़ा गया है जो प्राकृतिक आपदाओं से सम्बन्धित है।

स्वास्थ्य संबंधी जनादेश

(People's Charter for Health)

मैं जनादेश की विषय सामग्री का अनुमोदन करता / करती हूँ।
मैं इस आन्दोलन का समर्थन करने का / की इच्छुक हूँ।
मैं इस आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने का / की इच्छुक हूँ।

(आप तीनों पर भी सही (✓) कर सकते हैं)

नाम _____

संगठन _____

पूरा पता _____

दूरभाष _____ फैक्स _____

ई-मेल _____

तिथि _____

हस्ताक्षर _____

कृपया भरकर लौटाएँ : डॉ. कासिम चौधरी
संचालक, जन स्वास्थ्य सभा सचिवालय
गोनोशास्थ्य केन्द्र
पो. ऑ. मिर्जानगर, सावर
ঢাকা 1344, বাংলাদেশ
फैक्स : ৮৮০-২৭৭০-৮০১৭

वेबसाइट : www.pharmoment.org



Dr Qasem Chowdhury
Coordinator, PHA Secretariat
Gonoshasthya Kendra
PO Mirzanagar, Savar
Dhaka 1344, Bangladesh
Fax: 880-2770-8017

E-mail: gksavar@citechco.net
Website: www.phamovement.org

ডঁ. কাসিম চৌধুরী
সংচালক, জন স্বাস্থ্য সমা সচিবালয়
গোনোশাস্থ্য কেন্দ্র
পো. ও. মির্জানগর, সাওর
ঢাকা 1344, বাংলাদেশ
ফোক্স: 880-2770-8017

ই-মেল: E-mail: gksavar@citechco.net
বেবসাইট Website: www.phamovement.org



International People's Health Council

Global Coordinator
Maria Hamlin Zuniga
CISAS
Apartado #3267
Managua, Nicaragua
Tel: 505-2-662225, 663690
E-mail: iphc@cisas.org.in

অন্তর্রাষ্ট্রীয় জন স্বাস্থ্য সমিতি

সংচালক
মারিয়া হেমলিন জুনিগা
সীসাস
এপারটেডো #3267
মানাগুআ, নিকারাগুআ
ফোন: 505-2-662225, 663690
ই-মেল: iphc@cisas.org.in

Produced on behalf of IPHC in public interest

IPHC South Asia
A-60, Hauz Khas, New Delhi-110016
Fax: 91-11-6856795
E-mail: iphc_sasia@yahoo.com

'অন্তর্রাষ্ট্রীয় জন স্বাস্থ্য সমিতি' কে লিএ জনহিত মেঁ প্রকাশিত
আইপি এচসি (দক্ষিণ এশিয়া)
এ-60, হৌজখাস, নई দিল্লী-110016
ফোক্স: 91-11-6856795
ই-মেল: iphc_sasia@yahoo.com